रजि. सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 1986/वैशाख 12, 1908
No. 219] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 1986/VAISAKHA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 730 (अ) :—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 12 मई, 1986 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के उपबन्ध नीचे अनुसूची में दिए गए निगमों या समितियों और प्राधिकरणों पर लागू होंगे क्योंकि ये निगम या समितियां और अन्य प्राधिकरण सरकार के स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा नियंत्रित हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	निगम/समिति/अन्य प्राधिकरण का नाम	
1	2	3
1.	कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित सेन्ट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज	सांविधिक निकाय
2.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	निगम
3.	केन्द्रीय कार्यकर्ता शिक्षा बोर्ड	पंजीकृत समिति
4.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान	पंजीकृत समिति
5.	राष्ट्रीय श्रम सुरक्षा परिषद, धनबाद	पंजीकृत समिति

[सं. ए.-11019/16/85-ए. टी.]
पी. जी. लेले, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 2nd May, 1986

NOTIFICATION

GSR 730 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 12th day of May, 1986, as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall

apply to the corporations or societies and other authorities, mentioned in the Schedule below, being the corporations or societies and other authorities owned or controlled by Government:—

SCHEDULE

S.No.	Name of the corporation/society/ other authority	
1	2	3
1.	Central Board of Trustees constituted under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.	Statutory Body
2.	Employees' State Insurance Corporation	Corporation
3.	Central Board for Workers' Education	Registered society
4.	National Labour Institute	Registered society
5.	National Council of Safety in Mines, Dhanbad	Registered society

[No. A-11019/16/86-AT]

P. G. LELE, Director

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986